रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1518] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2009/भाद्र 31, 1931
No. 1518] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2009/BHADRA 31, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2009

का.आ. 2424(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68), की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सडक खंड) की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 78 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1999, द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 0.00 कि.मी. से 381.600 कि.मी., तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 198.000 कि.मी. से 263.000 कि.मी. (भरुच-सूरत सेक्शन) तक विद्यमान 4 लेन के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण 245.350 कि.मी. से 247.300 कि.मी. तक के सेक्शन में तप्ती नदी के पार पुल को 198.000 कि.मी. से 245.350 कि.मी तक चौड़ा करने और विद्यमान चार लेन कैरिजवे को छह लेन कैरिजवे में विभाजित करके उन्नयन द्वारा भूखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् भूखंड कहा गया है) के प्रचालन और अनुरक्षण तथा 246.865 कि.मी. पर यानीय अंडरपास, लघु ज्यामितीय सुधार और 247.300 कि.मी. से 263.300 कि.मी. तक विद्यमान चार लेन पर आवरण और पुलों के सुधार और चौड़ा करने, उपरिगामी सेतु के प्रबंध, मार्गाधिकार, लघु इंटरसेक्शन, सर्विस रोड, बस शेल्टर, विश्राम क्षेत्र, टोल प्लाजा आदि का सुधार जो रियायत करार के कार्य की परिधि के अंतर्गत सम्मिलित है, के लिए प्राधिकरण ने मैसर्स आईडीडीएए इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय आईआरडीबी काम्पलेक्स चांदीवाली फार्म, चांदीवाली ग्राम अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400072 है (जिसे रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए उक्त खंड के निर्माण करने, अनुरक्षण करने, प्रबंध करने और प्रचालन करने में अंतर्वलित व्य विनिधान पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण और प्रधिकरण और रियायतग्राही के मध हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3) विनिर्दिष्ट आधार फीस दरों पर फीस उदग्रहीत करेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन व इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, उक्त करार यथाविनिर्दिष्ट अवसान की तारीख तक उक्त फीस संग्रहण और प्रतिधारण को प्राधिकृत करती है अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा फीस की दर (रु0 में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार	0.40
2.	हल्के वाणिज्यक यान (एल सी वी) और मिनी बस	0.70
3.	ट्रक/बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान(>दो धुरीय)	2.25

टिप्पण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :-

(क) "वास्तविक फीस" से निम्नलिखित के आधार पर उक्त सेक्शन के उपयोक्ताओं से प्रभारि फीस है :-

(i) लंबाई किलोमीटर में, और

(ii) उपरोक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट दर पर आधार फीस

(ख) "वाणज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको स्वतंत्र परामर्शदाता द्व यथास्थिति पूर्ण प्रमाणपत्र या अनंतिम समापन प्रमाण-पत्र के जारी हाने के पश्चात उक्त सेक्शन आ प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण मे समाप्त होता या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ;

(ग) "दिन" पद से चौबीस घंटे की निरंतर अवधि अभिप्रेत है ;

(घ) "स्थानीय निजी यातायात" से ऐसा व्यैक्तिक यान (कार/यात्री वेन/जीप) अभिप्रेत है जो व्यक्ति रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं तथा जो सामान्यतः उसी स्थान पर निवास करता है अथवा क करता है जहाँ सामान्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के एक भाग को ही उपयोग करके पहुंचा सकता है और इसलिए, उस व्यक्ति के लिए अपने कार्य स्थान अथवा निवास से आने - जाने के यात्रा के सामान्य अनुक्रम में उक्त खंड के किसी भाग पर यात्रा करने के लिए ऐसे यानों का उप करना अपेक्षित है ;

(ङ) "स्थानीय वाणिज्यक यातायात" से ऐसे वाणिज्यक यान अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत माल सवारियों को लाने व ले जाने में लगी बस, ट्रक, हल्के मोटर यान या टैक्सियां भी हैं, जो उक्त पर नियमित रूप से चलने के लिए रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं ;

(च) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(छ) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु उक्त खंड के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में उनके हैं ।

2. 245.750 कि.मी. स्थित टोल प्लाजा पर संदत्त फीस वसूल की जाएगी ।

3. फीस की रकम और फीस का पुनरीक्षण जो कि प्रति वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगा की संगणना निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी :-

$$\text{आधार फीस} \times \frac{\text{थो० मू० सू०-ख}}{\text{थो० मू० सू०-क}} \times \text{उक्त खंड की लम्बाई किलोमीटर में}$$

जहां,--

(i) थो0 मू0 सू0-क मार्च 1997 को थोक कीमत सूचकांक है ।

(ii) थो0 मू0 सू0-ख फीस पुनरीक्षण तारीख के पूर्ववर्ती 31 मार्च को उपलब्ध थोक कीमत सूचकांक है ।

4. फीस 5 रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

5. जब एक ही यान को राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में गेट को पार करते समय सारणी में दी गई दरों पर अनेक चक्करों के लिए डेढ़ गुणा फीस का एक ही बार संदाय कर दे या यदि उसी यान को उक्त खंड का पूरे मास में लगातार और बार-बार प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी पूर्वोक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट एक फेरे के लिए उसको लागू दर का तीस गुणा के समतुल्य प्रभारों के संदाय पर मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

6. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नही की जाएगी, अर्थात्:-

(क) ऐसे यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल;

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेश राजनयिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद का सभापति या राज्य विधान् सभा के अध्यक्ष या संघ अथवा राज्य के मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि स्वयं यान में बैठें हों; या

(छ) सम्पूर्ण देश के संसद सदस्य, या अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधि विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र औ शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ख) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसा छूट के पात्र हैं ;

(ग) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।

7. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित छूट प्राप्त दरों से अधिक कोई फीस वसूल नहीं करेगा अर्थात्:-

(क) स्थानीय निजी यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान की फीस का 25 प्रतिशत ;

(ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान की फीस का 50 प्रतिशत ;

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात स्वतंत्र उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन उपलब्ध है वहाँ इस पैरा के अधीन रियायत उपलब्ध नहीं होगी ।

8. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नही की जाएगी जो उक्त अनुसूच में सम्मिलित नहीं है ।

9. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशि करेगा, और ऐसा सार, इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभावी करने के लिए 1 दिन पहले भी पुनः प्रकाशित भी किया जाएगा ।

10. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता अ टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर बूथों से 5 मी. आगे, पथकर बूथों से 100 मी. आगे और पथकर बूथों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमु रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड को सहजता से पढ़ सकें ।

11. प्रयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम पैंतालीस दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर कोई टीका टिप्पणियां कर सके या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस की प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी ।

[फा. सं. एनएचआई/13013/467/09-10/सी.ओ./जीसी वडोदरा (भरूच-सूरत) बीओटी]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2009

S.O. 2424(E).—Whereas, the Central Government by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport and Highways (Roads Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), entrusted the stretch from Km 0.00 to Km 381.600 of National Highway No. 8 in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s IDAA Infrastructure Private Ltd. having its registered office at IRB Complex, Chandivli Farm, Chandivli Village, Andheri (East), Mumbai - 400072 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the upgradation, strengthening of the existing 4 lane section from Km 198.000 – Km 263.000 (Bharuch – Surat section) of national highway No. 8 in the State of Gujarat, operation and maintenance of the stretch (hereinafter referred to as the said stretch) by upgrading the existing four – lane carriageway to six lane divided carriageway from km 198.000 to km 245.350, widening of bridge across river Tapi in the section from km 245.350 to km 247.300 and provision of a vehicular underpass at km 246.865, minor geometric improvements and overlay on existing four – lane road from km 247.300 to km 263.000 and improvement and widening of bridges, provision of flyovers, underpasses, right of ways, improvement of minor intersections, service roads, bus shelters, rest areas, toll plaza etc. as included under the scope of work of the Concession Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest

3458 GI/09-2

on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the perio the agreement entered into between the Authority and the Concessiona hereby levies fee at the base rate specified in column (3) of the following Ta on the category of vehicles specified in column (2) thereof, for the use of the s section and authorises the said Concessionaire to collect and retain the said on and from the date of commercial operation or publication of this notificat in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified the agreement, namely:

Table

S. No.	Category of Vehicle	Fee at the base rate per kilometer per vehicle for one way trip (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1	Car	0.40
2	Light Commercial Vehicles (LCV) and Mini bus	0.70
3	Truck and Bus	1.40
4	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	2.25

Notes:-

1. For the purposes of this notification,-

(a) "actual fee" means the fee actually charged from the users of t said section on the basis of-

(i) its length in kilometers; and

(ii) base fee at the rate as specified in column (3) of the ab Table,

(b) "date of commercial operation" means the date on wh commercial operation of the said section begins after issue of t completion certificate or the provisional completion certificate, the case may be, by the Independent Consultant, upon completi of the said section in accordance with the provisions of t agreement entered into between the Authority and t Concessionaire;

(c) "day" shall mean a continuous period of twenty-four hours;

(d) "local personal traffic" means and includes a personal veh (car/passenger van/jeep) which is registered with the Concessiona by any person who normally resides or works at a place that normally be approached only by using a part of the said section a such person is, therefore, required to use such vehicle for commu on a part of the said section in the course of normal travel to from his place of work or residence.

(e) "local commercial traffic " means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxies engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the said section.

(f) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(g) Words and expressions used herein and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the meanings respectively assigned to them in the said agreement.

2. The fee shall be collected at the fee plaza located at Km 245.750.

3. The actual fee and revision thereof effective from the 1st July every year shall be computed as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{length of the said section in kilometer}$$

Where, -

(i) WPI-A is the Wholesale Price Index as on March, 1997;

(ii) WPI-B is the Wholesale Price Index available for 31st March preceding the fee revision date.

4. The actual fee shall be rounded off to the nearest five rupees.

5. When the same vehicle has to cross the said stretch more than once in a day, the user shall have the option to pay fee for multiple trips at the rate one and half times the rate specified in column (3) of the above Table while crossing the toll plaza in the first trip itself, or where such vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for the entire month, the user may have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate as specified in column (3) of the above Table.

6. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(a) Vehicles-

(i) having 'VIP' symbols or officially belonging to-

3458 GI/09-3

(A) the President of India;
(B) the Vice-President of India;
(C) the Governor of a State and the Lt. Governor of a Union territory;
(D) a Foreign dignitary on State visit to India;
(E) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
(F) the Chairman of Rajya Sabha or the Speaker of Lok Sabha or the Chairman of State Legislative Council or the Speaker of State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State or the Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or

(G) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(ii) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;

(b) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);
(c) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

7. Concessionaire shall not collect fees from local personal traffic and local commercial traffic in excess of the following discounted rates, namely:-

(a) local personal traffic: twenty-five per cent of the fee for the specified category of vehicle:
(b) local commercial traffic: fifty per cent of the fee for the specified category of vehicles:

Provided that where a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall levy and collect fee from such local traffic only if they use the said stretch.

8. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle which is not specified in the Table above.

9. The concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language) at least ten days prior to the date of commercial operation and also ten days prior to giving effect to revised fee.

10. The rate of fee, the category of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, shall be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll plaza, 100 meters ahead of the toll plaza and at the toll plaza also, the height of display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

11. The actual fee to be charged from users shall be computed by the concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/467/09-10/CO/GC Vadodara (Bharuch-Surat) BOT]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.